

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ

21/8/24

Petitioner - वादी अनुपस्थित। विपक्षी उपस्थित। विपक्षी की ओर से उपस्थित विज्ञ अधिवक्ता को सुना तथा विपक्षी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक-03.03.2025 का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन पुनरीक्षण वाद पुनरीक्षणकर्ता द्वारा बन्दोवस्त पदाधिकारी, सं०प०, दुमका के आर०एम०आर० नं०-68/2020 देवान मुर्मू व अन्य -बनाम- सुनीराम मुर्मू में दिनांक-20.01.2023 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, जिसमें मौजा-सोनाडंगाल थाना नं०-39, थाना-दुमका (मु०), जिला-दुमका के हाल पर्चा के हाल खाता नं०-11/6 में दर्ज हाल खाता रैयती का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर सुनीराम मुर्मू का नाम दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

विपक्षी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक-03.03.2025 के आलोक में उभय पक्ष को स्वयं या वकालतन अपना पक्ष रखने हेतु अंचलाधिकारी, दुमका सदर के माध्यम से सूचना निर्गत की गयी।

निर्धारित तिथि को वादी अनुपस्थित रहे।

निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने तथा अभिलेखबद्ध कागजातों के अवलोकन से मैं पाता हूँ कि आर०एम०आर० नं०-68/2020 देवान मुर्मू व अन्य -बनाम- सुनीराम मुर्मू में दिनांक-20.01.2023 को पारित आदेश में बन्दोवस्त पदाधिकारी, सं०प०, दुमका का मतव्य है कि आयुक्त, सं०प०प्र०, दुमका के द्वारा सेटलमेंट अपील नं०-247/2017-18 में दिनांक-27.07.2018 को पारित आदेश द्वारा साविक जमाबंदी नं०-6 में सुनीराम मुर्मू का नाम दर्ज किये जाने की सम्पुष्टि की गयी है। इसी प्रकार आयुक्त, सं०प०प्र०, दुमका द्वारा आर०एम०आर० नं०-192/2019-20 में दिनांक-08.04.2022 को पारित आदेश में सुनीराम मुर्मू के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। साथ ही आयुक्त, सं०प०प्र०, दुमका द्वारा आर०एम०ए० नं०-210/2012-13 में दिनांक-08.04.2022 को पारित आदेश में भी सुनीराम मुर्मू के पक्ष में आदेश पारित किया गया है।

आयुक्त, सं०प०प्र०, दुमका द्वारा उपर्युक्त वादों में किये गये आदेश के आलोक में देवान मुर्मू व अन्य द्वारा दायर पुनरीक्षण वाद आर०एम०आर० नं०-68/2020 को खारिज किया गया है।

यह भी पाता हूँ कि सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी, पेशकारी प्रशाखा, संताल परगना, दुमका के पर्चा करेक्शन केस नं०-1619/2014 सुनीराम मुर्मू -बनाम- देवान मुर्मू ई० में

आदेश की क्रम
की सं० और
तारीख

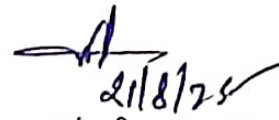
आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

दिनांक-17.03.2016 में भी मौजा-सोनाडंगाल थाना नं०-39, थाना-दुमका (मु०), जिला-दुमका के हाल सर्वे जमाबंदी नं०-11/6 के पर्चा खाना-4 में दर्ज हाल इन्द्राज को खारिज कर उसके स्थान पर हाल पर्चा खाना-4 में सुनीराम मुर्मू, पिता-स्व० सुफल मुर्मू के नाम से दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है।

सम्यक विचारोपरांत मैं पाता हूँ कि पूर्व में आयुक्त के न्यायालय संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका तथा निम्न न्यायालयों द्वारा पारित उपरोक्त आदेश सही एवं विधिसंगत है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अतः प्रसंगाधीन पुनरीक्षण वाद को अंगीकरण के विन्दु पर निरस्त किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।


21/8/25
प्रमंडलीय आयुक्त,
संथाल परगना प्रमंडल,
दुमका।

सं० 563

सं० 563

1